<u>प्रपत्र–23</u>

<u>परियोजना का नाम</u>– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 23/2019 ट्रान्सपोर्ट नगर रोड से केशवपुरम बस्ती तक मार्ग निमार्ण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

नगर निगम – नगर निगम हल्द्वानी, वार्ड न0 58

तहसील– हल्द्वानी, जिला– नैनीताल।

आम सभा बैठक प्रमाण–प्रत्र।

उत्तराखण्ड में नैनीताल के अर्न्तगत हल्द्वानी में ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल द्वारा सड़क के निर्माण हेतु (**0.074 है0** आरक्षित वन भूमि, शून्य है0 सिविल एंव सोयम वन भूमि, शून्य है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल **0.074 है0** वन भूमि का ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मत्रांलय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में नगर निगम हल्द्वानी द्वारा दिनांक 14-07-2019 को सम्पन्न बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी वार्ड वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वार्ड वासीयों / ग्रामवासीयों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर निगम हल्द्वानी/ वार्ड न0 58 को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो कि सत्य एंव सही है।

वार्ड मेम्बर
मनीष जोशी
पार्षद
वार्ड न0– 58, ह0तल्ली
नगर निगम हल्द्वानी

नगर निगम
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 23/2019 ट्रान्सपोर्ट नगर रोड से केशवपुरम बस्ती तक मार्ग निमार्ण।

दिनांक 14-07-2019 को नगर निगम हल्द्वानी एंव वार्ड न0 58 की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

क्रमांक	बैठक में सभा में उपस्थित वरिष्ठ वार्डवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	गोविन्द सिंह बिष्ट	गोबिन्द सिंह बिष्ट
2-	जिवन शर्मा	जीवन
3-	राजेश बिष्ट	राजेश बिष्ट
4-	राम बाबू	Ram
5-	जितेन्द्र नेगी	जितेन्द्र नेगी
6-	सन्तोष पाल	सन्तोष पाल

वार्ड मैम्बर
मनोज जोशी
पार्षद
वार्ड न०- 58, हल्द्वानी
नगर निगम हल्द्वानी

नगर निगम
महापौर
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम

प्रपत्र– 23.2

परियोजना का नाम– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 23/2019 ट्रान्सपोर्ट नगर रोड से केशवपुरम बस्ती तक मार्ग निमार्ण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी हल्द्वानी।
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र।
उपखण्ड स्तरीय समिति।

उपखण्ड हल्द्वानी परिक्षेत्र के ट्रान्सपोर्ट नगर रोड से केशवपुरम बस्ती तक सड़क के निमार्ण हेतु (0.074 है0 आरक्षित वन भूमि, शून्य है0 सिविल एंव सोयम वन भूमि, शून्य है0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल **0.074 है0 वन भूमि**) का ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील–हल्द्वानी) की दिनांक 19-08-19 को सम्पन्न बैठक ही कार्यवाही का विवरणः–

अनुसुचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विवेक राय, उपजिलाधिकारी, हल्द्वानी एंव अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री विवेक राय, उप जिलाधिकारी हल्द्वानी, अध्यक्ष।
2– श्री उमेश चन्द्र तिवारी उप प्रभागीय वनाधिकारी, सदस्य।
3– श्री एच0एन0 गोस्वामी सहायक समाज कल्याण अधिकारी, ..., सदस्य/सचिव।
4– श्री मनोज जोशी वार्ड ...., सदस्य।

(एच0 एन0 गोस्वामी) सहायक समाज कल्याण अधिकारी

मनोज जोशी पार्षद वार्ड न0– 58, हल्द्वानी नगर निगम हल्द्वानी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी हल्द्वानी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि उक्त सड़क के निर्माण हेतु 0.074 है0 वन भूमि ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वन भूमि का सम्बन्धित सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में नगर निगम हल्द्वानी एंव वार्ड न0 58 द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड, हल्द्वानी परिक्षेत्र के अर्न्तगत ट्रान्सपोर्ट नगर रोड से केशवपुरम बस्ती तक सड़क के निर्माण हेतु 0.074 है0 वन भूमि ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल को जनहित में सक्षम प्राधिकारी के अनुमति प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

19.08.19

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– हल्द्वानी,
नैनीताल।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी नैनीताल को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

19.08.19

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– हल्द्वानी,
नैनीताल।

प्रपत्र– 23.3

परियोजना का नाम– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 23/2019 ट्रान्सपोर्ट नगर रोड से केशवपुरम बस्ती तक मार्ग निमार्ण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र।

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित सड़क निर्माण हेतु 0.074 है0 वन भूमि ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति हल्द्वानी तथा सम्बन्धित नगर निगम एंव वार्ड द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण से किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहें हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

सहायक अभियन्ता (तृतीय)
ग्रामीण निर्माण विभाग
उपखण्ड हल्द्वानी

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
प्रखण्ड–नैनीताल.

12/09/19
जिला समाज कल्याण अधिकारी
नैनीताल.

12/09
जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
नैनीताल

परियोजना का नाम— मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 23/2019 ट्रान्सपोर्ट नगर रोड से केशवपुरम बस्ती तक मार्ग निमार्ण।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल।
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र।
जिला स्तरीय समिति, नैनीताल।

जनपद नैनीताल में हल्द्वानी के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्ट नगर रोड से केशवपुरम बस्ती तक सड़क के निर्माण हेतु (0.074 है0 आरक्षित वन भूमि, शून्य है0 सिविल एंव सोयम वन भूमि, शून्य है0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल **0.074 है0 वन भूमि**) का ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत जिला स्तरीय समिति (नैनीताल) की दिनांक 09-09-2019 को सम्पन्न बैठक ही कार्यवाही का विवरणः—

अनुसुचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति (नैनीताल) की बैठक श्री सविन बंसल, जिलाधिकारी नैनीताल स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री सविन बंसल, जिलाधिकारी नैनीताल, अध्यक्ष।
2— श्री आर० के० सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग रूद्रपुर, सचिव/सदस्य।
3— श्री अमन अनिरुद्ध, जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल सचिव/सदस्य।
4— डॉ० जोगेन्द्र सिंह रौतेला, मेयर नगर निगम, हल्द्वानी, सचिव/सदस्य।

जिला सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि उक्त सड़क के निर्माण हेतु 0.074 है0 वन भूमि ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वन भूमि का सम्बन्धित सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग रूद्रपुर द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुऐ जानकारी से माननीय सदस्यों को को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में नगर निगम हल्द्वानी एंव वार्ड न0 58 द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से जनपद नैनीताल में हल्द्वानी के ट्रान्सपोर्ट नगर रोड से केशवपुरम बस्ती तक सड़क के निर्माण हेतु 0.074 है0 वन भूमि ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल को जनहित में सक्षम प्राधिकारी के अनुमति प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

Aman 09/09/19
जिला समाज कल्याण अधिकारी
नैनीताल

सहायक अभियन्ता (सिविल)
ग्रामीण निर्माण विभाग
उपखण्ड हल्द्वानी

12/09
अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
प्रखण्ड-नैनीताल

12/09
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति,
नैनीताल।

परियोजना का नाम— मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 23/2019 ग्राम मदनपुर के बाहर लिंक मार्ग—गौलापार में मार्ग निर्माण।

Annexure-II

Form-I

(for linear projects)

Goverment of Uttarakhand

Office of the District Collector Nainital (U.K.)

No.................... Dated 12-09-2019

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.074** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Rural Works Department, Nainital** for the **Construction of Road** in **Nainital** District falls within jurisdiction of **Nagar Nigam Haldwani, Ward no. 58, Keshawpuram Basti**(s) in **Haldwani** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entir **0.074** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Nagar Nigam Haldwani, Ward no. 58(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to 23.3 annexure IV.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Nagar Nigam have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
प्रखण्ड—नैनीताल.

जिला समाज कल्याण अधिकारी
नैनीताल.

सहायक अभियन्ता (तृतीय)
ग्रामीण निर्माण विभाग
उपखण्ड हल्द्वानी

Signature
(Full name and oficial seal of the District Collector)

परियोजना का नाम– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 23/2019 ट्रान्सपोर्ट नगर रोड से केशवपुरम बस्ती तक मार्ग निमार्ण।

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT– Nainital (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Savin Bansal, I.A.S. deputy commissioner, Nainital on dated ....12-09-2019.......... at time 4PM.... at Nainital in which application claiming rights in **740** Sq. Meter/area measuring **0.074** hectares for the **Construction of Road.** Forest land under FRA, 2006 of the following applicants duly processed and recommended by the sub division level committee of Haldwani sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence district level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Anay 12/09/19

जिला समाज कल्याण अधिकारी
नैनीताल.

Place ....Nainital....

Dated ....12-09-2019....

12/09.
जिलाधिकारी

Deputy Commissioner cum chairman
District Level Committee

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
खण्ड–नैनीताल.

सहायक अभियन्ता (तृतीय)
ग्रामीण निर्माण विभाग
उपखण्ड हल्द्वानी